

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

क्रमांक : प.1(2)455 / स्था. / का.बा. / 22

जयपुर, दिनांक :

08 SEP 2022

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के शिड्यूल -I के अन्तर्गत दिनांक 16.08.2022 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की अनुशंषा पर कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग के निम्न अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2022-23 की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------------|
| 1. श्री गोकुलेश शर्मा | (सामान्य वर्ग) | (वर्ष 2022-23) |
| | | प्रभावी तिथि 01.04.2022 |
| 2. श्री मनबर सिंह रावत | (सामान्य वर्ग) | (वर्ष 2022-23) |
| | | प्रभावी तिथि 01.04.2022 |

साथ ही उक्त अधिकारियों को मुख्यालय जयपुर में प्रशासनिक अधिकारी के रिक्ति पद पर तुरंत प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से
(परमेश्वर लाल)
विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम, कारखाना एवं बॉयलर्स एवं ई0एस0आई विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव